



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223787
CG-DL-E-19122020-223787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4051]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 4051]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4614(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3859-(अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास -ब्यावर- आसींद -माण्डल खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.400 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन / 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 13 नवम्बर, 2020 " को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास -ब्यावर- आसींद -माण्डल खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.400 तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: पाली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रायपुर				
	गांव का नाम: बाबरा				
1	1750	निजी	गै. मु.	0.02	रघुवीरसिंह पुत्र उंकारसिंह गिरीराजसिंह पुत्र रघुराजसिंह गोपालकंवर पत्नी रघुराजसिंह उंकारसिंह पुत्र धुलसिंह 1/2 हिस्सा रतनकंवर पत्नी नटवरसिंह चैनकंवर पुत्री नटवरसिंह 1/2 हिस्सा कौम राजपूत सा. देह खातेदार रहन नटवरसिंह पिता धुलसिंह का हिस्सा एस बी आई बाबरा (1750)
	गांव का नाम: भंवरिया				
2	2717	सरकारी	गै.मु. पहाड़	0.6848	राज. सरकार (2717)
3	2717/1	सरकारी	बारानी दोयम	0.0821	राज. सरकार (२७१७/१)
4	2717/2	सरकारी	बारानी दोयम	0.0842	राज. सरकार (२७१७/२)

	गांव का नाम: देवगढ				
5	1141/1	सरकारी	बारानी दोयम	0.2726	राज. सरकार (११४१/१)
6	1141/2	निजी	बारानी दोयम	0.0238	प्रेमदेवी पत्नी मेघराज रेगर ब्यावर (११४१/२)
	गांव का नाम: देवनगर				
7	4147	सरकारी	गै. मु. मगरी	0.3231	राज. सरकार (4147)
8	4147/1	निजी	बारानी दोयम	0.0003	हरी भादु पिता सायर मीरा पत्नी सरदारा सुगरी पुत्री सरदारा कोम मेहरात सा देह खातेदार (४१४७/१)
9	4147/10	सरकारी	गै.मु. रेल लाइन	0.0695	रेलवे विभाग भारत सरकार (४१४७ /१०)
10	4147/3	निजी	बारानीअव्वल	0.0015	हरी भादु पिता सायर मीरा पत्नी सरदारा सुगरी पुत्री सरदारा कोम मेहरात सा देह खातेदार (४१४७/३)
	गांव का नाम: गोपालपुरा				
11	1534/1	सरकारी	गै. मु. पहाड़	2.6188	राज. सरकार वन विभाग (१५३४/१)
	गांव का नाम: कोलपुरा				
12	2458	सरकारी	गै. मु. पहाड़	0.0049	राज. सरकार (2458)
	गांव का नाम: Sumel				
13	3374	सरकारी	गै. मु. भाखर	0.6189	राज. सरकार (3374)
			कुल	4.8045	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4614(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3859 (E) on dated 28th October 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four lane with paved shoulder etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 158 (Ras-Beawar-Asind-Mandal section) on the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 19.400 (SDM Office, Raipur) in the District of Pali in the State of Rajasthan.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” on dated “13.11.2020” under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway no. 158 (Ras- Beawar- Asind- Mandal Section) in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 19.400 in the District of PALI in the State of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: PALI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Raipur				
	Village: Babra				
1	1750	Private	Ge. Mu.	0.02	Raghuvir Singh S/O Unkar Singh Giriraj Singh S/O Raghuraj Singh Gopalakanwar W/O Raghuraj Singh Unkar Singh S/O Dhul Singh 1/2 part Ratankanwar W/O Natwar Singh Chankavar D/O Natwar Singh 1/2 part Kaum Rajput Sa. Deh Khatedar Rahen Natwar Singh S/O Dhul Singh Part SBI Babra 1750
	Village: Bhawariya				
2	2717	Government	Ge. Mu. Pahad	0.6848	Raj. Government 2717
3	2717/1	Government	Barani Doyam	0.0821	Raj. Government 2717/1
4	2717/2	Government	Barani Doyam	0.0842	Raj. Government 2717/2

	Village: Devgadh				
5	1141/1	Government	Barani Doyam	0.2726	Raj. Government 1141/1
6	1141/2	Private	Barani Doyam	0.0238	Premdevi W/O Meghraj Regar Beawar 1141/2
	Village: Devnagar				
7	4147	Government	Ge. Mu. Magri	0.3231	Raj. Government 4147
8	4147/1	Private	Barani Doyam	0.0003	Hari Bhadu S/O Sayar Meera W/O Sardara Sugri D/O Sardara Com Mehrat Sa. Deh Khatedar 4147/1
9	4147/10	Government	Ge. Mu. Railway LINE	0.0695	Railway Department Government Of India 4147/10
10	4147/3	Private	Barani Avval	0.0015	Hari Bhadu S/O Sayar Meera W/O Sardara Sugri D/O Sardara Com Mehrat Sa. Deh Khatedar 4147/3
	Village: Gopalpura				
11	1534/1	Government	Ge. Mu. Pahad	2.6188	Raj. Government Forest Department 1534/1
	Village: Kolpura				
12	2458	Government	Ge. Mu. Pahad	0.0049	Raj. Government 2458
	Village: Sumel				
13	3374	Government	Ge. Mu. Bhakhar	0.6189	Raj. Government 3374
			TOTAL	4.8045	

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D1]

RAJESH GUPTA, Director